न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम, अम्बेडकरनगर।

UPAN010052732025

Sessions Case/825/2025

सरकार बनाम अजय कुमार आदि

अपराध संख्या–84 / 2015

धारा–144,147,148,440,448,457,427,504,506 भा.द.सं.

थाना–सम्मनपुर, अम्बेडकरनगर।

30.04.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण हरीराम यादव व अजय कुमार उपस्थित। प्रार्थी / अभियुक्त बजरंगबली उर्फ बजरंगी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6 ब अन्तर्गत धारा–239 दं0प्र0सं0 पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

2. प्रार्थनापत्र 6 ब प्रार्थी / अभियुक्त बजरंगबली उर्फ बजरंगी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है। मामले में पूर्णतया निर्दोष है। मुकदमा उपरोक्त में साजिशन फर्जी एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त का घटना दिनांक–05.08.2015 समय 12.00 रात्रि से कोई वास्ता सरोकार नहीं हैऔर न तो उक्त घटना में सम्मिलित था। मुकदमा उपरोक्त की सम्पूर्ण विवेचना में प्रश्नगत मकान के विवादित पक्षकार के अलावा किसी के द्वारा प्रश्नगत घटना में प्रार्थी / अभियुक्त के सम्मिलित होने किा अभिकथन नहीं किया गया है। विवेचना के क्रम में प्रथम विवेचक के द्वारा मेरे मोबाइल नम्बर 9415139096 का सी.डी.आर. प्राप्त करके कैप के माध्यम से लोकेशन को देखा गया है तो प्रार्थी / अभियुक्त प्रश्नगत घटना के समय घटनास्थल से 12 किमी0 दूर अकबरपुर में पाया गया है जिससे स्थापित होता है कि प्रार्थी / अभियुक्त का घटना में सम्मिलित होना सम्भव नहीं है और विशिष्ट रूप से यह अभिकथित करना है कि प्रार्थी / अभियुक्त का घटना में सम्मिलित होने का कोई हेतुक नहीं है। सम्पूर्ण विवेचना में पर्चा संख्या–1 से पर्चा संख्या–27 तक किसी स्वतन्त्र साक्षी का कोई अभिकथन नहीं है कि प्रार्थी / अभियुक्त प्रश्नगत घटना में सम्मिलित था। आगे कि विवेचना स्थानान्तरित होकर थाना गोशाईगंज जिला फैजाबाद द्वारा की गयी जिसमें स्वतंत्र गवाह व शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले साक्षियों का अभिकथन विवेचक के द्वारा अंकित किया गया है। सभी ने मात्र घर गिराने का अभिकथन किया है और शेष वादी के आरोप से इंकार किया और विशिष्ट रूप से घटना के समय प्रार्थी / अभियुक्त के उपस्थित होने का कोई तथ्य नहीं आया है। पर्चा संख्या–एससीडी नं.8 पर विवेचक के द्वारा

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.04.30 18:10:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी मुकदमा का मजीद अभिकथन अंकित किया है। अभियुक्त अजय कुमार के द्वारा भूमि का बैनामा लेने के कारण वादी व अन्य से विवाद होने और अजय कुमार के द्वारा मुआबजा देने का तथ्य आया है और पैसा लेने का भी तथ्य आया है और वादी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिकथन का समर्थन किया परन्तु उसको प्रमाणित नहीं कर पाया, इस सम्पूर्ण मामले में किसी प्रकार से प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं आया है। विवेचना के दौरान दिनांक 19.02.2015 को भूमि विवाद के मामले में पंचायत के दौरान वादी व उसके परिजन के द्वारा लल्लन यादव ग्राम प्रधान रूकुन्नदीनपुर, उनके भाई हरीराम,अजय कुमार को केशवराम आदि ने मार पीट दिया जिसमें लल्लन यादव गम्भीर रूप से घायल हो गये थे के संबंध में मु.अ. सं.–13/15 धारा–323,308,147,504,506 भा.द.सं. व धारा–3(1)X एससी / एसटी एक्ट थाना सम्मनपुर में अजय कुमार के द्वारा पंजीकृत कराया जाना प्रकाश में आया है। विवेचना दौरान पंचायत में भी प्रार्थी/अभियुक्त का उपस्थित होना नहीं पाया गया है। विवेचना के क्रम में परीक्षित किसी भी साक्षी ने प्रार्थी/अभियुक्त के मौके पर उपस्थित होने का अभिकथन नहीं किया है। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा व उसके भाभी प्रभावती के अलावा परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना के समय उपस्थित होने के अभिकथन नहीं किया है। यदि किसी साक्षी ने होने का अभिकथन किया है तो प्रार्थी/अभियुक्त का शिनाख्त नहीं किया है इसलिए अनुश्रुत साक्षियों का अभिकथन विधितः ग्राहय नहीं है। दिनांक 14.02.2017 को विवेचक के द्वारा डायल 100 की सूचना की प्रति प्राप्त की तो उसमें घटना की सूचना 06.08.2015 को 1.35 बजे अवधेश गुप्ता कुर्की बाजार के द्वारा मोबाइल नम्बर 9628942656 से देना पाया गया है जिसमें मात्र ''राजेश आदि जे.सी.बी. मेरा मकान गिरा रहे है'' की सूचना क्रम संख्या–141 पर दर्ज है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मौके पर मकान गिरा था परन्तु वहां कोई नहीं मिला।'' की सूचना 1.55 पर अंकित है। इसप्रकार सूचना में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं आया है। विवेचना के क्रम में पुलिस महानिदेशक उ.प्र. के आदेश दिनांक 12.03.2018 के निर्देश के अनुसार मोबाइल कैप व वार्ता किये गये व्यक्तियों का अभिकथिन दर्ज करने का निर्देश दिया गया और प्रार्थी/अभियुक्त के घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होने व देखने का अभिकथन करने वाले साक्षियों का मोबाइल लोकेशन व कैप के माध्यम से जांच करने का निर्देश दिया गया जो पूरक पर्चा संख्या–18 पर दर्ज है और विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा कराये जाने का आदेश भी दिया गया और अग्रिम विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के द्वारा की गयी। विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना प्रश्नगत मोबाइल नम्बर जिसका जिक्र पूरक पर्चा संख्या–46 पर है एक वर्ष पुराना होने के कारण अभिलेख पर नहीं मिला। इसप्रकार प्रार्थी/अभियुक्त का घटना के समय घटना

स्थल पर उपस्थित होना प्रमाणित नहीं हुआ। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के विवेचक के द्वारा जिन स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित किया है किसी ने घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त के होने का अभिकथन नहीं किया है। मुकदमा उपरोक्त में आरोपित घटना के समय में प्रार्थी/अभियुक्त के होने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा–144,147,148,440,448,457,427,504,506 भा.द.सं.के आवश्यक तत्वों का अभाव है। प्रार्थी को उपरोक्त वाद के आरोप से उन्मोचित किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मु.अ.सं.–84/2015 धारा–144,147,148,440,448,457,427,504,506 भा.द.सं. थाना सम्मनपुर,जिला अम्बेडकरनगर में आरोप से उन्मोचित करने की कृपा करें।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आपत्ति 8ब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त बजरंगबली नामित अभियुक्त है। दौरान विवेचना साक्षी बाल गोविन्द, प्रभावती व अवधेश कुमार ने अपने 161 द.प्र.सं. के बयान में बजरंगबली के साथ अन्य अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता होने की बात बतायी है तथा प्रकाश/लाइट में पहचानने की भी बात बतायी है। दौरान विचारण सरकार बनाम मनोज गुप्ता की पत्रावली में न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष परीक्षित साक्षी संख्या–1 बाल गोविन्द ने भी उक्त घटना में अभियुक्त बजरंगबली की संलिप्तता बतायी गयी है और बताया है कि कथित घटना के समय अभियुक्त बजरंगबली अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलकर कट्टा लगाकर उसका काफी सामान जनरेटर,रूपया दस हजार आदि उठा ले गये और जेसीबी से उसके मकान व दुकान को गिरा दिये जिसका साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। उन्मोचन प्रार्थनापत्र. भी उचित धारा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है। मामले में पूर्णतया निर्दोष है। मुकदमा उपरोक्त में साजिशन फर्जी एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का घटना दिनांक–05.08.2015 समय 12.00 रात्रि से कोई वास्ता सरोकार नहीं हैऔर न तो उक्त घटना में सम्मिलित था। मुकदमा उपरोक्त की सम्पूर्ण विवेचना में प्रश्नगत मकान के विवादित पक्षकार के अलावा किसी के द्वारा प्रश्नगत घटना में प्रार्थी/अभियुक्त के सम्मिलित होने किा अभिकथन नहीं किया गया है। विवेचना के क्रम में प्रथम विवेचक के द्वारा मेरे मोबाइल नम्बर 9415139096 का सी.डी.आर. प्राप्त करके कैप के माध्यम से लोकेशन को देखा गया है तो प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत घटना के समय घटनास्थल से 12 किमी0 दूर अकबरपुर में पाया गया है

जिससे स्थापित होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का घटना में सम्मिलित होना सम्भव नहीं है और विशिष्ट रूप से यह अभिकथित करना है कि प्रार्थी/अभियुक्त का घटना में सम्मिलित होने का कोई हेतुक नहीं है। सम्पूर्ण विवेचना में पर्चा संख्या–1 से पर्चा संख्या–27 तक किसी स्वतन्त्र साक्षी का कोई अभिकथन नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत घटना में सम्मिलित था। आगे कि विवेचना स्थानान्तरित होकर थाना गोशाईगंज जिला फैजाबाद द्वारा की गयी जिसमें स्वतंत्र गवाह व शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले साक्षियों का अभिकथन विवेचक के द्वारा अंकित किया गया है। सभी ने मात्र घर गिराने का अभिकथन किया है और शेष वादी के आरोप से इंकार किया और विशिष्ट रूप से घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त के उपस्थित होने का कोई तथ्य नहीं आया है। पर्चा संख्या–एससीडी नं.8 पर विवेचक के द्वारा वादी मुकदमा का मजीद अभिकथन अंकित किया है। अभियुक्त अजय कुमार के द्वारा भूमि का बैनामा लेने के कारण वादी व अन्य से विवाद होने और अजय कुमार के द्वारा मुआबजा देने का तथ्य आया है और पैसा लेने का भी तथ्य आया है और वादी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिकथन का समर्थन किया परन्तु उसको प्रमाणित नहीं कर पाया, इस सम्पूर्ण मामले में किसी प्रकार से प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं आया है। विवेचना के दौरान दिनांक 19.02.2015 को भूमि विवाद के मामले में पंचायत के दौरान वादी व उसके परिजन के द्वारा लल्लन यादव ग्राम प्रधान रूकुन्नदीनपुर, उनके भाई हरीराम,अजय कुमार को केशवराम आदि ने मार पीट दिया जिसमें लल्लन यादव गम्भीर रूप से घायल हो गये थे के संबंध में मु.अ. सं.–13/15 धारा–323,308,147,504,506 भा.द.सं. व धारा–3(1)X एससी / एसटी एक्ट थाना सम्मनपुर में अजय कुमार के द्वारा पंजीकृत कराया जाना प्रकाश में आया है। विवेचना दौरान पंचायत में भी प्रार्थी/अभियुक्त का उपस्थित होना नहीं पाया गया है। विवेचना के क्रम में परीक्षित किसी भी साक्षी ने प्रार्थी/अभियुक्त के मौके पर उपस्थित होने का अभिकथन नहीं किया है। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा व उसके भाभी प्रभावती के अलावा परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना के समय उपस्थित होने के अभिकथन नहीं किया है। यदि किसी साक्षी ने होने का अभिकथन किया है तो प्रार्थी/अभियुक्त का शिनाख्त नहीं किया है इसलिए अनुश्रुत साक्षियों का अभिकथन विधितः ग्राहय नहीं है। दिनांक 14.02.2017 को विवेचक के द्वारा डायल 100 की सूचना की प्रति प्राप्त की तो उसमें घटना की सूचना 06.08.2015 को 1.35 बजे अवधेश गुप्ता कुर्की बाजार के द्वारा मोबाइल नम्बर 9628942656 से देना पाया गया है जिसमें मात्र ''राजेश आदि जे.सी.बी. मेरा मकान गिरा रहे है'' की सूचना क्रम संख्या–141 पर दर्ज है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मौके पर मकान गिरा था परन्तु वहां कोई नहीं मिला।'' की सूचना 1.55 पर अंकित है। इसप्रकार सूचना में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं

आया है। विवेचना के क्रम में पुलिस महानिदेशक उ.प्र. के आदेश दिनांक 12.03.2018 के निर्देश के अनुसार मोबाइल कैप व वार्ता किये गये व्यक्तियों का अभिकथन दर्ज करने का निर्देश दिया गया और प्रार्थी/अभियुक्त के घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होने व देखने का अभिकथन करने वाले साक्षियों का मोबाइल लोकेशन व कैप के माध्यम से जांच करने का निर्देश दिया गया जो पूरक पर्चा संख्या–18 पर दर्ज है और विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा कराये जाने का आदेश भी दिया गया और अग्रिम विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के द्वारा की गयी। विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना प्रश्नगत मोबाइल नम्बर जिसका जिक्र पूरक पर्चा संख्या–46 पर है एक वर्ष पुराना होने के कारण अभिलेख पर नहीं मिला। इसप्रकार प्रार्थी/अभियुक्त का घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होना प्रमाणित नहीं हुआ। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के विवेचक के द्वारा जिन स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित किया है किसी ने घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त के होने का अभिकथन नहीं किया है। मुकदमा उपरोक्त में आरोपित घटना के समय में प्रार्थी/अभियुक्त के होने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा–144,147,148,440,448,457,427,504,506 भा.द.सं.के आवश्यक तत्वों का अभाव है। प्रार्थी को उपरोक्त वाद के आरोप से उन्मोचित किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण के वादी मुकदमा व उसकी भाभी प्रभावती व अवधेश कुमार ने अपने 161 द.प्र.सं. के बयान में बजरंगबली के साथ अन्य अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता होने की बात बतायी है तथा प्रकाश/लाइट में पहचानने की भी बात बतायी है। दौरान विचारण सरकार बनाम मनोज गुप्ता की पत्रावली में न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्षी संख्या–1 बाल गोविन्द ने भी उक्त घटना में अभियुक्त बजरंगबली की संलिप्तता बतायी गयी है और बताया है कि कथित घटना के समय अभियुक्त बजरंगबली अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलकर कट्टा लगाकर उसका काफी सामान जनरेटर,रूपया दस हजार आदि उठा ले गये और जेसीबी से उसके मकान व दुकान को गिरा दिये। प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य पाते हुए उसके विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। प्रकरण में अभी साक्ष्य आना शेष है। साक्ष्योंपरांत ही इस तथ्य का निर्धारण किया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया गया है अथवा नहीं, तथा अभियुक्त घटना स्थल पर मौजूद था अथवा नहीं।

ज्योति प्रकाश त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य 2006 इलाहाबाद दण्ड निर्णय पेज 186 में यह अवधारित किया गया है कि इस धारा के अधीन चल रही कार्यवाही में केवल उन्हीं दस्तावेजों को देखा जा सकता है और उन पर ही विचार किया जा सकता है, जिन्हें अन्वेषण अधिकारी ने प्रस्तुत किया हो। बचाव पक्ष के समर्थन में दस्तावेजों को केवल विचारण में बचाव पक्ष के साक्ष्य के समय ही देखा जा सकता है।

5. अतः पत्रावली पर मौजूद प्रपत्रों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में न्यायालय इस मत की है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–धारा–144,147,148,440,448,457,427,504,506 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है तथा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में इस स्तर पर कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः उन्मोचन प्रार्थनापत्र तद्नुसार खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त बजरंगबली द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र कागज सं0–6ब खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 15.05.2026 को पेश हो। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

<u>दिनांक–30.04.2026</u>